

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक : प.1(क)(135)कार्मिक/आ.वि.ऋण/आर.एम.एस./डी.एल.बी./15/8541 दिनांक : 2-6-17

आदेश

वर्तमान में राज्य के शहरी क्षेत्रों में मुख्य मंत्री शहरी जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। विभाग के ध्यान में लाया गया है कि इन शिविरों के दौरान आयुक्त/अधिकाधी अधिकारियों द्वारा कार्य के प्रति लापरवाही बरती जा रही है, जो उचित नहीं है। उक्त लापरवाही के कारण शिविरों का कार्य प्रभावित/बाधित होता है।

अतः मुख्य मंत्री जन कल्याण शिविरों के आयोजन के दौरान लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम-17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित जिला कलेक्टर को अधिकृत किया जाता है।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.1(क)(135)कार्मिक/आ.वि.ऋण/आर.एम.एस./डी.एल.बी./15/8542 दिनांक : 2-6-17
प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
05. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, आयुक्त/अधिकाधी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
06. सुरक्षित पत्रावली।

(मुकेश कुमार मीणा)
अतिरिक्त निदेशक